

F.No-47

मध्य प्रदेश सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

//कार्य//

आपत, दिनांक

अगस्त 1984

3/8/84

क्रमांक एच.ए.ए./2/84/ए.ए.2/38,
प्रति,

आचार्य,
महाविद्यालयी न शिक्षा,
बीकानेर (राजस्थान)

विषय :- सत्र 1984-85 में नवीन स्थापित होने वाली सामान्य आजीवन के अन्तर्गत शासकीय
उच्च शिक्षण महाविद्यालय तथा उनके लिये पत्रों का निर्माण।

राज्य शासन सत्र 1984-85 में नवीन निर्धारित 27 शासकीय महाविद्यालयों की
स्थापना के लिये स्वीकृत की गई इस महाविद्यालयों के लिये उनके सामने वर्गीकृत शैक्षणिक तथा
अर्थव्ययिक पत्रों को इस आदेश के दिनांक के पश्चात नियुक्त की दिनांक से 20-2-85 तक निर्मित
निम्न जर्न की संज्ञा में प्रदान करता है :-

क्रम	पदनाम	पदस्थान	वित्तमान
------	-------	---------	----------

- 1- शासकीय महाविद्यालय देवासपुर (इन्दौर) द्वारा 1x27=27 रु। 1200-50-1300-60-1900
- 2- शासकीय महाविद्यालय सनाबरद (खरगोन)
- 3- शासकीय महाविद्यालय कलैया (देवास)
- 4- शासकीय महाविद्यालय सुकानेर (राजसमूर)
- 5- शासकीय महाविद्यालय बौरन (ग्वालीयर)
- 6- शासकीय महाविद्यालय कोलारस (राजसमूर)
- 7- शासकीय महाविद्यालय देवासपुर (गुना)
- 8- शासकीय महाविद्यालय बीरसा (अजमेर)
- 9- शासकीय महाविद्यालय गुड (बीकानेर)
- 10- शासकीय महाविद्यालय सीधी (सीधी)
- 11- शासकीय महाविद्यालय नारायण (इलाहाबाद)
- 12- शासकीय महाविद्यालय मदनगढ़ (पन्ना)

1/2/1

11/3/11

स्थान पदसंख्या पदसंख्या वैतनमान

- 13- शासक महाविद्यालय (टीकमगढ़)
- 14- शासक कन्या महाविद्यालय सीतौर
- 15- शासक कन्या महाविद्यालय गौरीवासी (सीतामढ़ी)
- 16- शासक महाविद्यालय चण्डी (होशियारपुर)
- 17- शासक महाविद्यालय केमल गी (सिपही)
- 18- शासक महाविद्यालय बिलहा (बिलासपुर)
- 19- शासक महाविद्यालय पंडीरिया (बिलासपुर)
- 20- शासक महाविद्यालय कौटा (बिलासपुर)
- 21- शासक महाविद्यालय लोहरमी (बिलासपुर)
- 22- शासक महाविद्यालय कुलुज (रायपुर)
- 23- शासक महाविद्यालय तिलमानेवर (रायपुर)
- 24- शासक महाविद्यालय कसडोल (रायपुर)
- 25- शासक महाविद्यालय गौरीगंज (राजनिवास)
- 26- शासक कन्या महाविद्यालय गंदसौर
- 27- शासक कन्या महाविद्यालय नीमच (गंदसौर)

(2)ए व्याख्याता 6x27=162 रु 700+40+1100+50+1300-
असो=50+1600

हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा
इतिहास (प्रत्येक महाविद्यालय में एक-एक पद) एवं कन्या
महाविद्यालय गंदसौर, नीमच, गौरीगंज, गौरीवासी में इतिहास के
स्थान पर गुरुभिक्षा का एक पद।

(2)बी- व्याख्याता 1x11=11 रु तथैव
शासक महाविद्यालय चण्डी, कौटा, सुनैर, गौरीगंज, गौरीवासी,
केमल गी, बिलहा, कौटा, तिलमानेवर तथा कसडोल में
एक-एक वर्षीय पद अतिरिक्त पद)

(3) मुख्यपाल 1x27=27 रु 700+40+1100

(4) गुरुभिक्षा 1x27=27 रु 600+15+800+20+900+
25+1000+30+1060

11/3/11

J/3/1

(5) तैजपत्र 1x27=27 रु 635-15-800-20-900-25-950

(6) तैजपत्र 1x27=27 रु 575-15-800-20-800

(7) तैजपत्र 2x27=54 रु 515-10-575-15-800

(8) प्रयोगपरिचयक 1x4=4 रु तैज

केवल कत्या महकिले

महकिले, गोबिन्द, मोहन, जयसिंह, गजपति के लिए

(9) प्रयोगपरिचयक 1x4=4 रु 445-10-575-15-635

(10) तैज 2x27=54 रु 380-5-424-10-495

(11) तैज 1x27=27 तैज 3-1-1/1-1/1-1-1-1-1-1
से देय

(12) तैज 1x27=27 तैज

उपर्युक्त पत्रों पर होनेवाला तथा कार्यालयीन व्यय किस्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1223

31.3.12 2287/सा.स.3/क.दे.27-8-84 द्वारा अधिसूचना नियम से स्वीकृत

अग्रिम रुपये 30 हजार (सर्वोदय) से दिया जाएगा और अन्ततः मगि संख्या

44-277-दिनांक 29/8/84 के तहत सरकार तथा अन्य उच्च शिक्षा मंत्रालय के महाविद्यालय

3 नये महाविद्यालय को लक्ष्य रखकर से विकसित होगा।

उपर्युक्त तैज विभाग के तैज क्रमांक 1233/3 727/BI/1/1/1

के 84 दिनांक 29/8/84 द्वारा महासंचालक मंत्रालय की सुचना की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा अधिसूचना

(हस्ताक्षर)

(जी.एल. गुप्ता)

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

मध्य प्रदेश

//4//

पू० क्र० एफ० 44/2/84/ए-2/38,

श्रीपाल, दिनांक

28

अगस्त 1984.

31/8/84

प्रतिलिपि :-

- 1- अतिरिक्त दो प्रतियों के साथ वित्त विभाग के की ओर सूचनाएँ एवं महालेखाकार म० प्र० कार्यालय की ओर पृच्छा किये जाने हेतु अर्पित ।
- 2- संबंधित अध्यापक ।
- 3- संबंधित जिलाध्यक्ष ।
- 4- संबंधित प्राचार्य ।
- 5- कूल सचिव, समस्त किंवद्वयलय म० प्र० की ओर सूचनाएँ अर्पित ।
- 6- सचिव, उच्च शिक्षा एवं अनुदान आयोग म० प्र० श्रीपाल की ओर सूचनाएँ ।
- 7- मा० मंत्रीजी उच्च शिक्षा के निम्न सहायक ।
- 8- संबंधित सहायक उच्च शिक्षा विभाग ।

(जी० रत्न० गुप्ता)

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

// राही 25884//

28/8/84